न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–137 / 2022

GCMS NO:- 2022/251 दायर दिनांक:05.07.2022

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. बाबूलाल आ0 गेन्दीलाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी

–प्रार्थी–

बनाम

1. प्रताप आ0 रामनारायण जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जयसिंह आशावत।

अप्रार्थी की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 11.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल दुगारी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बांसी के संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 73 रकबा 08 बिघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जो राजकीय सिवासचक भूमि है। यह कि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल दुगारी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बासी के संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 49 के अनुसार खसरा संख्या 516 / 73 रकबा 0.4854 हैक्टयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 प्रताप के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 के मूल के खसरा संख्या 73 में से 0.4854 हैक्टयर आवंटित हुई थी जिसे अब खसरा संख्या 516 / 73 अंकित किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आवंटित शुदा भूमि की तरमीम गलत रूप से खसरा संख्या 73 के उत्तरी भाग पर करवा ली जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 प्रताप का कभी कब्जा नही रहा है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की पहुंच से भी काफी दुर है। अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा खसरा संख्या 73 के पश्चिमी ओर के भाग पर है तथा उसी जगह अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा संभलाया गया था। जिस जगह अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा था उसे नजरी नक्शे 'परिशिष्ट अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिस जगह वर्तमान में तरमीम की गई है वहां पर अप्रार्थी प्रताप का कोई कब्जा नही है बल्कि यह भूमि तो प्रार्थी के खेत से मिली हुई भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रताप गलत जगह तरमीम का फायदा उठाकर आवंटन से अधिक भूमि हडप करना चाहता है। यह कि अप्रार्थी प्रताप द्वारा वर्तमान में करवाई गई नक्शा तरमीम गलत है जिसे निरस्त कर प्रताप के कब्जे वाले स्थान (जिसे नजरी नक्शे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है) खसरा संख्या 73 के पश्चिमी ओर के भाग पर सही तरमीम किया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। गलत तरमीम होने से मौके पर लड़ाई झगड़ा व मुकदमों की बहुलता बढने की आशंका है। यह कि प्रार्थना पत्र नक्शा तरमीम को सही करवाने के संबंध में होने से न्यायालय श्रीमान की धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि कृषि भूमि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल दुगारी तहसील नैनवां में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को क्षैत्र संबंधी क्षैत्राधिकार प्राप्त है। तरमीम मय रकबे सहित सही दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 73 रकबा 1.4238 हैक्टयर जो राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है, प्रार्थी अब अप्रार्थी के खातेदारी की हो रही वैधानिक तरमीम की दूषित मानसिकता से दुर्भावना [illegible] के अवैध अनाधीकृत रूप से निरस्त करवाकर उक्त स्थान पर अनाधिकृत रूप से अति[illegible] चाहता है। प्रार्थी का अतिक्रमण करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की विधिसम्मत तरमीम [illegible] जाना न्यायपूर्ण एवं विधिसम्मत नही है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] संख्या 516 / [illegible] 0.4854 है0 में प्रताप पि0 रामनारायण जाति मीणा [illegible] रिकार्ड है। ख0स0 51[illegible] रकबा 0.4854 है0 की तरमीम नक्शे लट्ठे में हो रखी है। तत्समय स[illegible] से पटवारी द्वारा गलत [illegible] कर दी गई थी। जिस जगह पर खातेदार प्रताप पुत्र रामनारायण का कब्जा काश्त नही है। संलग्न नक्शानुसार प्रस्तावित तरमीम की जगह प्रताप पि0 रामनारायण का काब्जाकाश्त है। अतः संलग्न नक्शानुसार ख0सं0 516 / 73 की तरमीम शुद्धि योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दरतावेज, जवाब अप्रार्थीगण, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा संख्या 516/73 रकबा 0.4854 है0 में प्रताप पि0 रामनारायण जाति मीणा सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ख0स0 516/73 रकबा 0.4854 है0 की तरमीम नक्शे लट्ठे मे हो रखी है। तत्समय सहवन से पटवारी द्वारा गलत तरमीम कर दी गई थी। जिसको शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा संख्या 516/73 रकबा 0.4854 है0 मय रकबे सहित प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट "क" जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा, के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:10:21 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नजरी नक्शा ट्रेस

ग्राम = डुगारी
तह० = नैनवाँ
जिला = बून्दी
(राज०)

परिशिष्ट - "क"

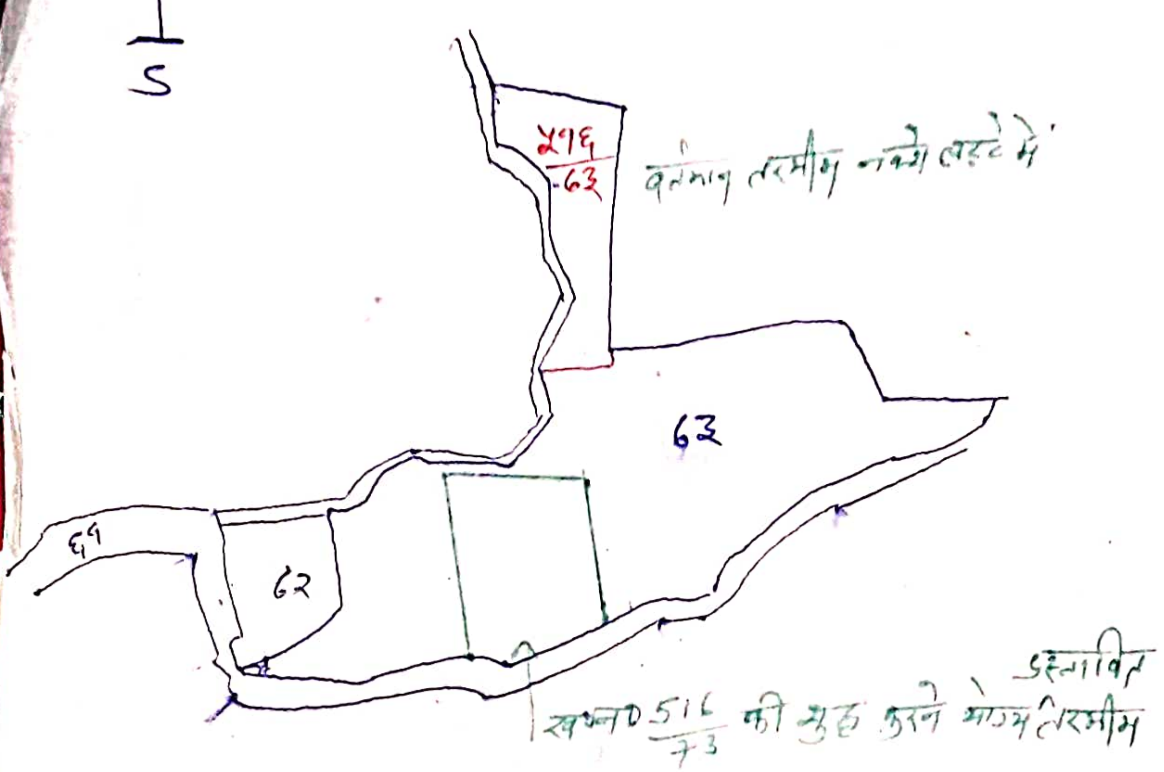

राजकार्य हेतु निःशुल्क जारी।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

पटवारी
पटवार मण्डल डुगारी
तह० नैनवां जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:10:21 IST
Reason: SelfAttested